न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/45/2021

महबूब खान पुत्र छज्जू खान जाति मेव निवासी नगला कुलवाना पुलिस थाना कामां जिला भरतपुर जरिये मुख्त्यारखास मालिक सेद उमर पुत्र तयौव जाति मुस्लमान निवासी कुलवाना पुलिस थाना कामां जिला भरतपुर राज0

......प्रार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये पैरोकार

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बावत वाहन ट्रक एल.पी.ट्रक संख्या आर जे 05/जीबी–3900 वमुकदमें प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 266/2021 पुलिस थाना सेवर अन्तर्गत धारा 3,5 व 8 राजस्थान गौवंशीय पशु वध।

अधिनियम।

उपस्थित :–

1. श्री वनय सिंह, अभिभाषक प्रार्थी
2. राजकीय पैरोकार

<u>निर्णय</u> **दिनांक 16.11.2021**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी का वाहन ट्रक जरिये मुख्त्यारनामा मालिक व काबिज है जिसको उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेने का अधिकारी है। वाहन ट्रक को पुलिस थाना सेवर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 266/2021 में जप्त किया हुआ है जो कि पुलिस थाना सेवर भरतपुर पर खुले में खडा हुआ है। जिसके खुले में खडे रहने से खराब होने की पूर्ण सम्भावना है तथा पुलिस थाना सेवर भरतपुर को वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि प्रार्थी को अपने व्यावसायिक कार्यो के लिए वाहन की आवश्यकता है। प्रार्थी सुपुर्दगीगार उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेने के पश्चात् वाहन में कोई भौतिक परिवर्तन नही करेगा। प्रार्थी अपने वाहन को सुपुर्दगी के सबंध में न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना भली भांति करेगा तथा अन्त में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

पत्र स्वीकार किया जाकर वाहन ट्रक एल.पी. संख्या आर जे 05/जीबी–3900 को सुपुर्दगी दिये जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। थानाधिकारी, पुलिस थाना सेवर से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना सेवर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 28.10.2021 शामिल पत्रावली की गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज कथनों को दोहराते हुये बताया कि प्रार्थी ने अवगत कराया कि वह इस ट्रक मालिक है जो कि थाना सेवर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 266/2021 ने धारा 3,5 व 8 राजस्थान गोवंशीय पशु वध अधिनियम के तहत जब्त किया गया है जो कि उक्त ट्रक थाना सेवर में खुले में खडा हुआ है जहां उसके खराब होने का पूर्ण अंदेशा तथा जिसकी अब प्रकरण में भी पुलिस थाना सेवर को भी आवश्यकता नही होना अवगत कराया गया है। वाहन सुपुर्दगी के सबंध में न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जावेगा उसकी पालना की जावेगी। वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने हेतु निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुये तर्क दिया है कि उक्त वाहन का उपयोग गोवंश की तस्करी एवं अनैतिक कार्य तथा अवैध परिवहन के लिए किया गया है जो कि क्षमा योग्य नही है। अभियोजन अधिकारी द्वारा सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र वाहन को सुपुर्दगी में दिया जाना न्याय संगत न होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी के कथनों पर गौर किया। थानाधिकारी पुलिस थाना सेवर की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना सेवर ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट है कि प्रार्थी वाहन वाहन ट्रक एल.पी. संख्या आर जे 05/जीबी–3900 में 24 गौवंश नर व मादा दोनों ही पाये गये तथा उक्त वाहन में गोवंश को बेरहमी से भरा होने से 4 गोवंश मेडीकल जांच रिपोर्ट में मृत पाये गये। उक्त वाहन में गौवंश का भरकर तस्करी हेतु परिवहन करना व गाडी में भरे हुये गौवंश को सांस लेने में तकलीफ के कारण 4 गोवंश मृत पाये गये। उक्त गाडी में गौवंश को तस्करी व परिवहन करना राजस्थान गोवंश अधिनियम 1985 के तहत अपराध किया है जो कि गौवंश के प्रति अमानवीय कृत्य की श्रेणी में आता है, इससे यह तथ्य साबित होता है कि उक्त वाहन अनैतिक रूप से गौवंश की तस्करी में उपयोग में लिया गया है। प्रार्थी किसी भी प्रकार की रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नही है। ऐसी स्थिति में जप्त गोवंश में संलिप्त वाहन ट्रक एल.पी. संख्या आर जे 05/जीबी–3900 को सुपुर्दगी में नहीं दिया जाना उचित नही पाते है। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी काबिल खारिज के रहता है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बाबत् ट्रक एल.पी. संख्या आर जे 05/जीबी–3900 खारिज किया जाता हैं। निर्णय की प्रति थाना अधिकारी सेवर (भरतपुर) को आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2021 को सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, भरतपुर